

7) पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 15/7/19 का प्रस्तुत है


15/7/19

पत्रावली सहित वकील अपीलांत उपर  
रेसपोडेण्ड सं - 12 स्वपं उपर। ऊंच रेसपोडेण्ट  
को रूँ से रजिस्टर नोटिस प्राप्त हो चुके  
हैं कोर्ट की परामर्श उपर नहीं आया। राग  
पंचायत का रिकार्ड प्राप्त हो चुका है  
वहां सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। पत्रावली के अवलोकन से  
पाया कि मृतक तुलधराम के अपीलांत

व्या



एवं रेसपोर्ट सं.पा 1 ता 23 प्रथम श्रेणी के आपण वारिस वाकर जो दस्तावेज प्राप्त किए हैं इनकी पुनः जांच की जाती न्यायोचित तरीके होती है। इसके ताम पंचायत स्थित इतकाल सं.पा-356 दिनांक 21/5/15 के द्वारा तुलदराम के वारिसों के रूप में केवल रेसपोर्ट सं.पा-01 का नाम ही किया गया है। इतकाल सं.पा-356 दिनांक 21/5/15 विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। एवं प्रमाण तहकीलदा अन्वय को इस निर्णय के अन्तर्गत किया जाता है कि अपीलार्थ एवं रेसपोर्ट सं.पा-1 ता 23 को सुनवाई का अन्ततः खतान करते हुए मूलक तुलदराम के सभी वारिसों की जांच का नियमानुसार पुनः विरातन इतकाल ही करें। पत्रावली नियमानुसार वाकिल दस्त है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 अनूपगढ़